

अध्याय - 4

शक्तियों का प्रत्यायोजन

भारत सरकार द्वारा भूमि और विकास कार्यालय के अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं-

1. प्रशासनिक, वित्तीय, विधिक और आदेशों का अधिप्रमाणन आदि।

(क) कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के पत्र में यथानिहित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में भूमि और विकास अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं-

- i) एल-27(10)/59 दिनांक 16.07.1960
- ii) एल-II-15(3)/60 दिनांक 4.1.1961
- iii) एल-II-15(1)/60 दिनांक अगस्त, 1960

(ख) भूमि और विकास अधिकारी तथा उप भूमि और विकास अधिकारी/सहायक निपटान आयुक्त को दिनांक 4.2.64 की अधिसूचना संख्या एफ-16(1)/61 के तहत यथा संशोधित विधि मंत्रालय की दिनांक 25.11.1958 की अधिसूचना सं. एस.आर.ओ. 351 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अथवा इसके खिलाफ दीवानी अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों में मुकदमों में वाद-पत्रों तथा लिखित विवरणों पर हस्ताक्षर करने तथा सत्यापन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग) भूमि और विकास अधिकारी तथा उप भूमि और विकास अधिकारी/सहायक निपटान आयुक्त, सतर्कता-सह-विधिक अधिकारी तथा सहायक अभियंताओं को निम्नलिखित निष्पादित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं-

i) भूमि और विकास अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों से संबंधित संपत्ति की सभी संविदाएं तथा आश्वासन;

ii) दिल्ली/नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित संपत्ति की बिक्री/पट्टा विलेखों की नियम एवं शर्तों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा इससे संबंधित सभी संविदाएं, विलेख अथवा अन्य दस्तावेज;

iii) नीलामीकर्ता संबंधी करार, नीलामी कर्ताओं का बांड एवं नीलामीकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के देय निष्पादन के संबंध में प्रतिभूति बांड; एफ. 17(3)/94-न्यायिक, दिनांक 6.1.1995 के साथ पठित एफ 17(1)/64, दिनांक 1.2.1966

(घ) भूमि और विकास अधिकारी तथा उप भूमि और विकास अधिकारी/सहायक निपटान आयुक्त को दिनांक 2.8.1966 की अधिसूचना सं. 3/5/66-प्रका.। के तहत यथासंशोधित गृह मंत्रालय की दिनांक 3.11.1958 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2297 के तहत राष्ट्रपति के नाम में निष्पादित और किए गए सभी आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. दिल्ली में नजुल भूमि का प्रशासन

(क) विभिन्न प्रयोजनों के लिए नीलामी में बोली स्वीकार करना, विनिर्माण योजनाओं का अनुमोदन एवं भूमि का अस्थाई आबंटन:

इस संबंध में भूमि और विकास अधिकारी तथा उप भूमि और विकास अधिकारी/सहायक निपटान आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के दिनांक 24.2.1966 और 30.8.1966 के पत्र सं. 27/9/64-एल में समाहित है।

(ख) रिहायशी से कार्यालय प्रयोजन का अनुमत्य अस्थाई परिवर्तन:

इस संबंध में भूमि और विकास अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के दिनांक 24.2.1966 के पत्र सं. 27.9.64-एल में दी गई हैं।

(ग) दुरुपयोग और अनधिकृत विनिर्माण के संबंध में किए गए उल्लंघन को माफ करना:

इस संबंध में भूमि और विकास अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के निम्नलिखित पत्र संख्याओं में दी गई हैं-

i) दिनांक 31.1.1967 के पत्र सं. एल-27(2)/66 तथा दिनांक 30.5.1967 के पत्र संख्या 7/4/61-एल के तहत यथासंशोधित दिनांक 30.6.1991 का एल-7/4/61;

ii) दिनांक 7.11.1962 का एल-7(4)/61; तथा

iii) दिनांक 1.8.1966 के पत्र सं. 7/7/65 के तहत यथासंशोधित दिनांक 15.7.1964 की यू.ओ. सं. 23/3/64-एल (एलएंडडी कार्यालय आदेश सं. समन्वय (13), दिनांक 20.8.1964)

(घ) मामलों का अंतिम निपटारा

कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के दिनांक 27.4.65 के पत्र सं. 27/5/64 के पैरा में उल्लिखित मामलों के संबंध में भूमि और विकास अधिकारी को उन मामलों को वित्त मंत्रालय रेफर किए बगैर उन पर कार्रवाही करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ङ) पट्टे वाली भूमि पर विनिर्माण पूरा करने के लिए समय-सीमा का विस्तार करना।

भूमि और विकास अधिकारी को कार्य, आवास और आपूर्ति मंत्रालय के दिनांक 4.2.1966 के पत्र सं. 12/2/65-एल की मद 1 में उल्लिखित शर्तों के अध्यक्षीन एक बार में एक वर्ष में विनिर्माण पूरा करने की समय-सीमा में कोई भी जुर्माना लिए बगैर बढ़ाने की अनुमति हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(च) अतिरिक्त/कम क्षेत्र का समायोजन

पक्षकार को आबंटित क्षेत्र में समायोजन करने के लिए भूमि और विकास अधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं बशर्ते कि ऐसे समायोजन में आबंटन पत्र में उल्लिखित क्षेत्र के 5% अथवा आधा एकड़, जो भी कम हो, से ज्यादा क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना शामिल न हो। [कार्यालय आदेश सं. 165, दिनांक 13.10.1965]

3. शाखा अधिकारियों/प्रबंधन अधिकारियों/अधीक्षक को प्रत्यायोजित शक्तियां

(क) शाखा अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियां निम्न कार्यालय आदेशों में दी गई हैं-

(i) प्रशासन 1(184)/63, दिनांक 25.2.1964

(ii) प्रशासन 2(158)/61, दिनांक 26.7.1965

(iii) प्रशासन 1(156)/65, दिनांक 29.12.1965

(ख) पट्टा (लीज) अनुभागों के प्रबंधन अधिकारी/अधीक्षक:

प्रबंधन अधिकारियों/अधीक्षकों को प्रत्यायोजित शक्तियां दिनांक 16.9.1965 के प्रशासन 1(184)/63 में निहित हैं।

(ग) अधीक्षक, प्रशासन अनुभाग:

अधीक्षक, प्रशासन अनुभाग को प्रत्यायोजित शक्तियां निम्नलिखित कार्यालय आदेशों में निहित हैं-

i) प्रशासन 1(184)/63, दिनांक 16.9.1965

ii) प्रशासन 1(184)/63, दिनांक 8.10.1965

iii) प्रशासन 1(184)/66, दिनांक 26.4.1966

(घ) अधीक्षक लेखा अनुभाग:

दिनांक 16.9.1965 के कार्यालय आदेश सं. प्रशासन 1(184)/63 में निहित संबद्ध शक्तियों को प्रयोग करने के अलावा अधीक्षक, लेखा अनुभाग उसे दिनांक 10.10.66 के कार्यालय आदेश सं. प्रशासन 1(184)/66 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा।